फर्द अहकाम

(नियम-26)

...जज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

रामचन्द्र बनाम छोटूराम

...रण : वाद

मुकदमा नं. : 112/2019

हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुवे
वकील वादी उप. साक्ष्य वादी में शपथ पत्र गवाह प्रेमाराम, छोटूराम के वकील वादी ने पेश किये गवाह स्वयं उपस्थित हुये। शपथपत्र शा०मि० किये। पत्रावली वास्ते बकाया साक्ष्य दिनांक: 11/8/20 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	[illegible] (R) Adv छोटूराम [signature]
11/8/20: वकुलाम उप. वकील वादी ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है। साक्ष्य वादी बंद की जाती है। चूंकि हस्तगत प्रकरण में इकबालिया जवाब पेश हो रखा है इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करना चाहते है। मिसल में साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाती है। मिसल वास्ते बहस दिनांक: 24/8/20 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, जिला नागौर	
24/8/20: वकुलाम उप. बहस वकुलाम सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 07/9/20 7/9/20 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, जिला नागौर	
7/9/20 पत्रावली पेश हुई वकील वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। मिसल नियम मुताबिक पृष्ठांकित मिजाना जाकर शा० मि० किया गया। पत्रावली अपने वस्ता जिल्द होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, जिला नागौर	

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस. राजस्व वाद संख्या :– 112/2019

वादी –

1. रामचन्द्र पुत्र छोटूराम
जाति–जाट निवासी– रामपुरा–बी तहसील–जायल जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. छोटूराम पुत्र गुमानाराम
2. बाउदेवी पत्नि छोटूराम
तमाम जाति–जाट, निवासीगण–रामपुरा–बी, तहसील–जायल (नागौर)
3. तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

वादी की ओर से श्री चन्द्राराम बिड़ीयासर एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री एम.आर. मालोदिया,
प्रतिवादी संख्या 3 राजपेरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 07.9.2020

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादपत्र जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक परिवार के सदस्य है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पुश्तैनी बडेर के खेत खसरा नं. 66 रकबा 25.17 बीघा, ग्राम तंवरा तहसील जायल एवं खसरा नं. 283 रकबा 9.03 बीघा, खसरा नं. 939/299 रकबा 11.01 बीघा, खसरा नं. 938/282 रकबा 8.11 मौजा रामपुरा–बी तहसील जायल मे आये हुये तथा वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी में दर्ज है। मुतदाविया खेताय की भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने आपसी रजामंदी से वाद के पेरा संख्या 2 क, ख व ग के अनुसार बंटवारा कर काबिज हो गये है। परतु राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

07.9.2020
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

राजस्व वाद 112/2019
रामचन्द्र बनाम छोटूराम वगैरह

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 की ओर से अधिवक्ता श्री एम.आर. मालोदिया ने वकालात नामा व ईकबालिया जवाब दावा पेश किया। इसी प्रकार प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का इकबालिया जवाब तथा प्रतिवादी संख्या 3 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

साक्ष्यवादी में दिनांक 05.06.2020 एवं 07.07.2020 को पत्रावली में शपथ पत्र गवाह रामचन्द्र, जयपराम व छोटूराम के प्रस्तुत किये गये जिस पर गवाह के बयान कलमबद्ध किये गये। जो शामिल पत्रावली है। दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर नकल जमाबन्दी ग्राम रामपुरा–बी तहसील जायल संवत् 2071–2074 खाता संख्या 74/71 पदर्श–1, नकल जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 खाता संख्या 22/18, 32/27 प्रदर्श– 2 व 3 की पेश की। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1,2 द्वारा पत्रावली में इकबालिया जवाब में वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व प्रतिवादीगण संख्या 1 2 के द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है, बंटवाड़े के दावे में पक्षकारो के हिस्सों का संलग्न जमाबंदी अनुसार बंट किया जाता है एवं हस्तगत प्रकरण में समस्त पक्षकारान वाद में संयाजित है। फलतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुये न्यायिक दृष्टिकोण से तौर पर स्वीकार जाकर डिक्री किया जाना न्यायालय मत में उचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर * (एस.डी.ओ.), जायल

07.9.2020
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद ...
रामचन्द्र बनाम छोटूराम वगैरह

–: : आदेश : –

यत् वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

1. वादी रामचन्द्र के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में ग्राम तंवरा तहसील जायल के खसरा नं. 66 रकबा 25.17 बीघा पूरा घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 छोटूराम के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा रामपुरा–बी तहसील जायल के खसरा नं.939/299 रकबा 11.01 बीघा, खसरा नं. 938/282 रकबा 8.11 बीघा, खसरा नं. 283 यथावत् घोषित किये जाते है।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा तैयार हो। तदनुसार पालना हेतु तहरीर तहसीलदार जायल को जारी हो।

07-9-2020

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

निर्णय आज दिनांक 07.9.2020 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

07.9.2020

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 112/2019
रामचन्द्र बनाम छोटूराम वगैरह

डिक्री व मुकदमे इब्तादाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला-नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :- 122/2019

वादी –

1. रामचन्द्र पुत्र छोटूराम
जाति-जाट निवासी- रामपुरा-बी तहसील जायल जिला-नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. छोटूराम पुत्र गुमानाराम
2. बाउदेवी पत्नि छोटूराम
तमाम जाति जाट निवासीगण रामपुरा-बी तहसील जायल (नागौर)
3. तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :-

वादी की ओर से श्री चन्द्राराम बिड़ीयासर एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री एम.आर. मालोदियां,
प्रतिवादी संख्या 3 राजपेरोकार उपस्थित।

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– डिक्री आदेश –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री चन्द्राराम बिड़ीयासर अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1, 2 हाजरी श्री एम. आर. मालोदिया प्रतिवादी संख्या 03 सरकारी पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि –

1. वादी रामचन्द्र के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में ग्राम तंवरा तहसील जायल के खसरा नं. 66 रकबा 25.17 बीघा पूरा घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 छोटूराम के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा रामपुरा-बी तहसील जायल के खसरा नं.939/299 रकबा 11.01 बीघा, खसरा नं. 938/282 रकबा 8.11 बीघा, खसरा नं. 283 यथावत् घोषित किये जाते है।

07-9-2020
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 112/2019
रामचन्द्र बनाम छोटूराम वगैरह

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व
भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें।
बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .... को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि''नर			फीस कमि''नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

07.9.2020

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल